संख्या-400/2017/193/22-2-2017-17(33)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 07 जून, 2017**

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामदयाल पुत्र श्री मंगा, निवासी जनपद-हरदोई की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-44244-359/प्रोबेशन-3/2016 (एम-17-11-2016) दिनांक-16-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 16-12-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामदयाल पुत्र श्री मंगा, ग्राम घोसार, थाना कोतवाली, जनपद-हरदोई का निवासी है। बन्दी ने पार्टी बन्दी के चलते दिनांक 24.01.1978 को समय 11.30 बजे बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गजराज सिंह, टनकई सिंह व सुरेन्द्र सिंह पर बन्दूक से हमला कर गजराज सिंह व टनकई सिंह की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-456/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 307/34 में मा0 षष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई के आदेश दिनांक 10-07-1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.09.1997 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.09.2016 तक 17 वर्ष 11 माह 08 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 10 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा एवं सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा है कि बन्दी ने पार्टी बन्दी के चलते दिनांक 24.01.1978 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गजराज सिंह, टनकई सिंह व सुरेन्द्र सिंह पर बन्दूक से हमला कर गजराज सिंह व टनकई सिंह नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु-58 वर्ष 05 माह लगभग होने, बन्दी का स्वास्थ्य एवं मानसिक दशा सन्तोषजनक है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामदयाल पुत्र श्री मंगा, निवासी जनपद-हरदोई को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया है कि प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अतः समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामदयाल (बन्दी संख्या-14528) पुत्र श्री मंगा, निवासी जनपद-हरदोई को फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-400/2017/193(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-हरदोई।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-400/2017/193@22-2-2017-17(33)/2013

दिनांक 07 जून, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बन्दी रामदयाल (बन्दी संख्या-14528) पुत्र श्री मंगा, ग्राम-घोसार, थाना-कोतवाली, जनपद-हरदोई का निवासी है। बन्दी ने पार्टी बन्दी के चलते दिनांक 24.01.1978 को समय 11.30 बजे बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गजराज सिंह, टनकई सिंह व सुरेन्द्र सिंह पर बन्दूक से हमला कर गजराज सिंह व टनकई सिंह की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-456/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 307/34 में मा0 षष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई के आदेश दिनांक 10-07-1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.09.1997 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.09.2016 तक 17 वर्ष 11 माह 08 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 10 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा एवं सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा है कि बन्दी ने पार्टी बन्दी के चलते दिनांक 24.01.1978 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गजराज सिंह, टनकई सिंह व सुरेन्द्र सिंह पर बन्दूक से हमला कर गजराज सिंह व टनकई सिंह नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु-58ा वर्ष 05 माह लगभग होने, बन्दी का स्वास्थ्य एवं मानसिक दशा सन्तोषजनक है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामदयाल पुत्र श्री मंगा, निवासी जनपद-हरदोई को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया है कि प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अतः समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in